E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–15/2023........5227 दि0 11/07/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री मनोरंजन कुमार, (Emp. ID No.-SKN00853), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–1647 दिनांक–17.02.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री मनोरंजन कुमार को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई। निर्धारित तिथि 26.05.2023 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अपीलार्थी उपस्थित। भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में पक्षकारों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

आरोपित से संबंधित संचिका में रक्षित अभिलेख तथा साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि श्री अनंत कुमार, शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी ने दिनांक–17.01.2023 को अपने आवेदन द्वारा निदेशालय को सूचित किया कि श्री मनोरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के द्वारा मेरे तथा शिविर के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल का समर्थन नहीं करने के कारण कार्यालय के चाभी छीनने, मारपीट, गाली–गलौज, उनका मोबाईल सहित लैपटॉप तोड़ने, शिविर कार्यालय के सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुँचाने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने आदि का कृत्य किया गया है।

शिविर प्रभारी द्वारा प्राप्त उक्त आवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक–849 दिनांक–18.01.2023 के द्वारा श्री कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर समर्पित किया गया है, प्राप्त प्रतिउत्तर में श्री कुमार द्वारा एक अन्य महिला कर्मी (विशेष सर्वेक्षण अमीन) के साथ शिविर प्रभारी द्वारा अभद्रता किए जाने एवं सारी घटना का आरोप शिविर प्रभारी पर लगाते हुए स्थानीय स्तर पर प्रकाशित समाचार पत्रों एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा महिला कर्मी, बुद्धि पूर्णिमा द्वारा विशेष न्यायधीश SC/ST Act, Bettiah, West Chamaparan को दाखिल परिवाद संख्या–33/23 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय/कार्रवाई अपेक्षित है।

अभिलेख में संलग्न बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक– 65 दिनांक– 23.01.2023 के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि– श्री कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जब शिविर कार्यालय, लौरिया–03 में पदस्थापित थे तो इनका कार्य असंतोषजनक था। शिविर उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं करने व अनुशासनहीनता बरतने के कारण इनका स्थानान्तरण अन्य शिविर (नौतन–02) में किया गया, परन्तु नवपदस्थापित शिविर में भी श्री कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का कार्य संतोषजनक नहीं रहने तथा कार्य में रूचि नहीं लेने की स्थिति में तत्कालीन शिविर प्रभारी द्वारा एक अंतिम मौका देने के अनुरोध पर लौरिया–02 में पुनः पदस्थापित किया गया, लेकिन श्री कुमार के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। वर्त्तमान शिविर प्रभारी द्वारा भी इन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। जाँच में प्रथम दृष्टया सभी आरोप सही पाये जाने के कारण बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा इनको सेवा मुक्त करने अथवा अन्यत्र स्थानान्तरण की अनुशंसा निदेशालय को की गई है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा कोई अपने उपर लगे आरोपों के विरूद्ध ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

संलग्न अभिलेखों एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा दाखिल मंतव्य से स्पष्ट है कि शिविर प्रभारी का आवेदन, बन्दोबस्त पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक–65 दिनांक–23.01.2023 द्वारा प्राप्त अनुशंसा पर निदेशालय द्वारा कृत कार्रवाई उचित है। श्री कुमार द्वारा शिविर कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करना, वरीय पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचना, विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को स्वयं न करना तथा अन्य कर्मियों को भी कार्य न करने हेतु उकसाना तथा कार्य संतोषजनक न रहने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण पर आदतन दूसरे शिविर में भी कार्य न करना, इनके आचरण को संदिग्ध तथा कार्य–शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखना किंचित न्यायसंगत नहीं है।

अतएव निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या–1647 दिनांक–17.02.2023 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्री मनोरंजन कुमार, (Emp. ID No.- SKN00853), पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–15/2023....5727....**पटना, दिनांक :–**..11/07/2023

प्रतिलिपिः– श्री मनोरंजन कुमार, (Emp. ID No.- SKN00853), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), Email- singhmanoranjan82@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/23
(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–15/2023....5727....**पटना, दिनांक :–**..11/07/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/23
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–15/2023....5727....**पटना, दिनांक :–**..11/07/2023

प्रतिलिपिः– संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/7/23
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–15 / 2023......5727........**पटना, दिनांक** :–..11/07/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/23

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–15 / 2023......5727........**पटना, दिनांक** :–..11/07/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/23

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप